कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)

क्रमांकः– स्टेनो/प्रशा./2025/01 दिनांक :–08.01.2026

–:: संशोधित कार्यालय आदेश ::–

मैं काना राम मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्द्वारा धारा 12 व 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् दिनांक 14.01.2026 को स्थानिय अवकाश घोषित होने एवं श्रीमती मीनाक्षी मीणा–II, अति0 मुख्य मजिस्ट्रेट, मांगरोल के संतान परवरिश अवकाश का प्रार्थना पत्र प्रेषित किए जाने से इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 29.12.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न तिथि में आवश्यक प्रकृति के दाण्डिक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन, प्रोटोकॉल आदि कार्य हेतु, निम्न न्यायिक अधिकारी की डयूटी उनके मुख्यालय पर लगता हूँ, जो अपने पदस्थापन मुख्यालय पर उपस्थित रहकर संबंधित ब्लॉक में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित उपरोक्त आवश्यक कार्य का सम्पादन करेंगे।

क्र0 सं0	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	मोबाईल नं0
01	01.01.2026	श्री लोकेन्द्र चौधरी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज	मो0नं0–9413203697
02	04.01.2026	श्री सिद्धांत शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता	मो0नं0–7977458847
03	10.01.2026 11.01.2026	श्री अनिल पारवानी	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां	मो0नं0–9982269996
04	14.01.2026	शाहिस्ता लोधी	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू	मो0नं0–9529155244
05	18.01.2026	श्री दिव्य मोहन गुप्ता	ग्राम न्यायालय अटरू	मो0नं0–8112259184
06	24.01.2026 25.01.2026 26.01.2026	श्रीमती साक्षी चौधरी	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ौद	मो0नं0–8764391289

नोटः–

1. प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए, अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद है, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0)

क्रमांक :– 54 दिनांक :–08.01.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
4. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website-baran.dcourt.gov.in पर इस आदेश को अपलोड व बारां न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में ई–मेल करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0)